

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(9)2018 / गोप्र / प्रमुखसं /

दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के प्राधानान्तर्गत गटित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.02.2019 की अभिशंषानुसार निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 20800-65900 एल-5 (2400) में वर्ष 2018-19 के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने का आदेश एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम श्री / श्रीमती	पिता का नाम श्री	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	रामलाल	हरिया मीणा	1.4.2018
2.	विरेन्द्र सिंह	जय सिंह	1.4.2018

50

(सी.एस. रत्नासामी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(9)2018 / गोप्र / प्रमुखसं / 1609-1719/c

दिनांक 5.3.2019

1. प्रतिलिपि समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षी पत्रावली।

21

(नरेश चन्द्र शर्मा)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—एफ 15 (9) 2018 / गोप्र / प्रमुवसं /


दिनांक:—

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचित-1 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.02.2019 की अभिशंभानुसार निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 20800-65900 एल-5 (2400) में वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध हुए पदोन्नत लोकसेवक को नवीन पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अकिंत विवरण अनुसार किये जाने का आदेश प्रचलित किया जाता है :-

क्र. स.	नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्व श्री	एस. सी / एस. टी.	च.श्रे.क. की वरि. संख्या	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति आदेश जारी करने हेतु आंवटित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रामलाल पुत्र हरीया मीणा	एस.टी.	181	उप वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर
2	विरेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह		257	उप वन संरक्षक, चूरु	उप वन संरक्षक, चूरु

सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारीगण इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश प्रसारित करने से पूर्व इनके सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेवें कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूचि-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता / अनुभव की पूर्ति करते हैं। कृपया आवश्यक आदेश तत्काल जारी कर अवगत करावें।


(सी.एस.रत्नसामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राज.जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (9) 2018/गोप्र/प्रमुवसं/1721-1732/८ दिनांक:- 5.3.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त पदोन्नत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें अविलम्ब पदोन्नति पर नवीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने को इच्छुक नहीं हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित करने का कष्ट करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पदोन्नति उपरान्त आवंटित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कर्मचारियों के सेवाभिलेख एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों से यह सुनिश्चित कर लेवें कि ये कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 में उल्लेखित अनुसूची-1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव की पूर्ति करते हैं। यदि ये वांछित योग्यता/अनुभव की पूर्ति नहीं करते हो तो उनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जाकर इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक एवं मुख्य वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. वन संरक्षक प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
5. उप वन संरक्षक उदयपुर/चूरु
6. अध्यक्ष, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ जयपुर/मंत्रालयिक समिति वन विभाग जयपुर।
7. कार्मिक स्ट्रेन्थ/मंत्रालयिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षि पत्रावली।

(नरेश चन्द्र शर्मा)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर